अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः– 547 / 2012** मो० रोजन एवं अन्य –– अपीलार्थीगण वनाम बीबी गुलशन एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स –:आदेशः– प्रस्तुत अपील वाद मो0 रोजन,मो0 बदरूद्दीन उर्फ मो0 शकूर,मो0 सदरूद्दीन उर्फ मो0 मुस्तफा एवं मो0 फहीम सभी पेसर स्व0 नसीर कुँजरा रूवेदा खातुन पिता स्व0 नसीर कुजरा पति स्व0 मो0 समीद, मो0 नजीम पिता स्व0 मो0 हसन सभी साकिनान – गमैल, गोरपार, मुस्लिम टोला, थाना बिहारीगंज, जिला– मधेपुरा एवं बीबी असमुन पे0 स्व0 मो0 नसीर हाल साकिन अरार, थाना ग्वालपाड़ा, जिला– मधेपुरा द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 55 / 2012–13 बीबी गुलसन उर्फ गुलिया एवं 01 अन्य बनाम मो0 रोजन एवं 6 अन्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदे । के विरूद्ध दायर किय गया है । अपीलार्थी का अपने अपील आवेदन में यह कथन है कि– 1. रेस्पोण्डेन्ट / वादी ने निम्न न्यायालय में मौजा–ग्वालपाड़ा, अंचल–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा, खेसरा नं०–140, अन्दर खाता 125 में 8 डी० भूमि का नाजायज मांग खतियानी रैयत स्व० नसीर कुँजरा पिता–उल्फत कुँजरा के स्व० पुत्र अहमैत हुसैन के पुत्री होने के आधार पर करते हुए यह भी झुठा कथन किया कि मुस्लिम विधि में सन्नी समुदाय की विधि के अनुसार बिना वसीयत के होने के वजह से अन्त्येश्टि क्रिया के खर्च के कटौती तथा ऋण नहीं रहने पर समस्त संपत्ति में रेस्पोण्डेन्ट / वादी के पिता– अहमद हुसैन का हिस्सा कायम हुआ है तथा यह भी झुठा कथन किया गया है कि अहमद हुसैन का हिस्सा कायम होने के बाद रेस्पोण्डेन्ट / वादी वाद ग्रस्त भूमि का उपयोग वो उपभोग करने लगा जबकि शादी निज पंचायत में होने के वजह से ससुराल में रहकर गुजर बसर करने जैसी बात भी स्वयं रेस्पोण्डेन्ट ने कहा किन्तु निम्न न्यायालय ने बिना किसी तहकीकात वो बिना साक्ष्य, सबूत के रेस्पोण्डेन्ट के झूठे कथन वो निराधार दावे पर विचार किये बिना पक्षपात पूर्ण वो मनमाना वो विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिये जो बिल्कुल रद्द होने	

के लायक है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन में यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय से सूचना प्राप्ति के उपरांत जब अपीलार्थी/प्रतिवादी ने निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर रेस्पोण्डेन्ट/वादी के झूठे वो अस्पश्ट वो भ्रामक दावे के निश्वत जवाब देकर सही वस्तुस्थिति को न्यायालय के समक्ष रखा तो रेस्पोण्डेन्ट/वादी पुनः एक भ्रामक वो अस्पश्ट वो गलत धाराओं में आवेदन देकर 8 डी० के जगह 16 डी० भूमि का मांग इस गलत आधार पर कर दिया कि खतियानी रैयत की दो पुत्री रूवेदा खातुन वो बीबी असमुन ने अपने जवाब में अपना हक, हिस्सा वाली जमीन का भाईयों में बंटवारा कर देने का जिक्र कर दिया इसलिए उसे अब 8 डी० के जगह 16 डी० भूमि चाहिए तथा निम्न न्यायालय ने ऐसे गलत आवेदन को भी स्वीकृत कर मनमाना वो विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो तत्काल रद्द होने लायक है।

आगे यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट के अर्जी वो सुधार आवेदन एंव अस्पश्ट दावा तथा मनगढंत तथ्यों के अवलोकन से स्पश्ट हो जाता है कि वादिनी को विवादी भूमि से कभी किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रहा है बल्कि वादिनी लोभ, विद्वेश एवं दुसरे के बहकावे में आकर सरासर झूठा तथा बेबुनियाद दावा निम्न न्यायालय में पेश किया किन्तु निम्न न्यायालय ने बिना सही वस्तु स्थिति पर विचार किये एवं बिना स्थल जाँच, बिना गवाही लिए एवं बिना साक्ष्य एवं सबूत के ही पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिये जो सर्वथा विधि–विरूद्ध वो वास्तविकता वो तथ्य के विपरीत है वो काबिले खारिज है।

अपीलार्थी का आगे यह कथन है कि अपीलार्थी संख्या– 1 से 4 खतियानी रैयत स्व० नसीर कुँजरा के पुत्र हैं वो स्व० नसीर कुँजरा को 5 पुत्र था जिसमें अपीलार्थी संख्याः 1 से 4 के अलावे एक पुत्र मो० हुसैन था जो दो पुत्री के जन्म के उपरांत मर गया वो उसकी पत्नी बीबी सदरूल पिता– मो० वसीर उद्दीन ने दुसरी शादी कर ली जिसके उपरांत खतियानी रैयत मो० नसीर ने अपने जीवित अवस्था में ही अपने जीवित चार पुत्रों वो दो पुत्रियों को बैठाकर सलाह मशविरा कर यह तथ्य कर दिया कि मो० हुसैन का हिस्सा बराबर भाग में लेकर अपीलार्थी चारों भाई मो० हुसैन की लड़की का लालन पालन करेंगे एवं जिस सलाह मशविरा के अनुरूप मो० नसीर की दोनों पुत्रियों ने भी मो० हुसैन की पुत्री के लालन पालन हेतु अपना हिस्सा चारों भाईयों को ही दे देने का वचन दिया इस प्रकार खतियानी रैयत के जीवित चारों पुत्र जो काफी गरीब हैं वो मेहनत मजदूरी का कार्य कर मो० हुसैन के दोनों पुत्रियों का लालन–पालन करते रहे एवं जब वर्श 1992 में स्व० अहमद हुसैन की दोनों पुत्री भाादी के लायक हो गई तो स्व० अहमद हुसैन की दोनों पुत्री जो निम्न न्यायालय में वादी थी उसके नाना मो० वसीर उद्दीन के अध्यक्षता में एक बैठक कर पंचनामा तैयार किया गया जिसमें रेस्पोण्डेन्ट/वादिनी के नाना मो० वशीर उद्दीन के अध्यक्षता में यह तय हुआ कि खतियानी रैयत मो० नसीर कुँजरा के जीवित चारों पुत्र मिलकर स्व० अहमद हुसैन की दोनों पुत्रियों का शादी विवाह सम्पन्न कर देगें एवं दोनों पुत्रियों के लालन पालन तथा शादी विवाह सम्पन्न करने के एवज में खतियानी रैयत नसीर कुँजरा के सारे सम्पत्ति पर नसरी कुँजरा के जीवित चारों पुत्र भूमि के बराबर हिस्से के हकदार होगें। उक्त पंचनामा के अनुरूप नसीर कुँजरा के जीवित चारों पुत्र ने स्व० अहमद हुसैन की दोनों पुत्री जो इस अपील वाद में रेस्पोण्डेन्ट है उसकी शादी, विवाह कर उसे ससुराल में बसा दिया तथा खतियानी रैयत नसीर कुँजरा के सारे जगह जमीन तथा संपत्ति पर हकदार एवं दखलकार होते चला आया वो नया खाता–125 खेसरा– 139 रकवा 19 डी० वो नया खेसरा– 140 रकवा– 65 डी० नया खेसरा 141 रकवा 7 डी० कुल रकवा–91 डी० जो कि एक चक में है वो जिसमें पुरब से करीब 25 डी० पर अपीलार्थी चारों भाई का घर, वो मकान मय सहन वो बाड़ी–झाड़ी कायम है वो लगभग 30 डी० पर चारों भाई का खेती–बाड़ी कायम है जिसे जोत–आबाद कर मौसम के अनुरूप सब्जी का खेती चारों भाई करते हैं वो भोश 36 डी० पश्चिम से बगीचा के रूप में है जिसमें करीब 10 बीटा बाँस वो दो कटहल वो दो आम का पेड़ जो करीब 20–25 वर्श पुराना है वो अपीलार्थी द्वारा लगाया हुआ है सभी अपीलार्थी के दखल कब्जा वो हक वो अधिपत्य में

है वो इससे रेस्पोण्डेन्ट को कभी भी कोई इलाका वो सरोकार नहीं रहा है।

अपीलार्थी का आगे यह कथन है कि वस्तु स्थिति यह है कि रेस्पोण्डेन्ट के नाना धुर्त्त, चालाक वो लोभी वो अवसरवादी किस्म का व्यक्ति है तथा विवादी भूमि खेसरा 140 के दक्षिण में रेस्पोण्डेन्ट के नाना मो० वसीर की जमीन है वो मो० वसीर ने नाजायज रूप से अपीलार्थी की भूमि को हड़पने की गलत मंशा से रेस्पोण्डेन्ट को बहका कर उससे नाजायज दावी पेश कराते हुए निम्न न्यायालय में वाद दायर करवा दिया तथा निम्न न्यायालय ने बिना स्थल जॉच किये वो बिना स्थानीय लोगों की गवाही लिए ही मनमान वो पक्षपात पूर्ण आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा नाजायज, विधि विरूद्ध वो एकतरफा है वो ऐसा आदेश रद्द करने योग्य है। निम्न न्यायालय में रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने अपने हक वो दखल के संबंध में कोई भी साक्ष्य, सबूत नहीं दिया वो निम्न न्यायालय द्वारा कोई भी जॉच अथवा सरजमीन पर जाकर वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु कोई भी गवाही नहीं ली गई वो अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दाखिल महत्वपूर्ण पंचनामा दस्तावेज पर भी कोई विचार नहीं किया गया तथा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के विहित प्रक्रिया के विरूद्ध रेस्पोण्डेन्ट/वादी के पक्ष में पक्षपात पूर्ण आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है।

आगे यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी के उपरोक्त पंचनामा जिसपर रेस्पोण्डेन्ट/वादिनी के साथ–साथ खतियानी रैयत स्व० नसीर कुँजरा का भी निशान है वो रेस्पोण्डेन्ट के साथ–साथ उसके नाना एवं अन्य गणमान्य पंचो का हस्ताक्षर एंव निशान है ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर विचार किये बिना वो अपीलार्थी/प्रतिवादी के साक्ष्य एवं सबूतों का अवलोकन किये ही मनमाना वो विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो रद्द करने योग्य है।

अपीलार्थी /प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.12 को आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.12.2012 को अपील वाद दायर किया गया है। अतएवं अपील वाद कालबाधित है एवं इस अपील आवेदन में कोई समुचित एवं विधिसम्मत आधार भी नहीं है। वर्णित स्थिति में अपील आवेदन अस्वीकृत। इसके साथ ही अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/2/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/2/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा